

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 561]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2022—आश्विन 20, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2022

क्र. एफ-73-1-2012-अड़तीस-3.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	न्यूनतम आयु-सीमा	अधिकतम आयु-सीमा	अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कुलसचिव	32 वर्ष	45 वर्ष	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्वाइंट स्केल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि. (2) शासकीय विभागों/संस्थाओं या शासकीय विश्वविद्यालयों के, न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक/शैक्षणिक अनुभव रखने वाले द्वितीय श्रेणी अधिकारी.

No. F-73-01-2012-XXXVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15-C of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-II, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. N.	Name of Post Included in this Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Registrar	32 Years	45 Years	(1) Post Graduate degree or equivalent degree from a recognized University with minimum 55% marks or equivalent grade point scale. (2) Second Class Officers of Government Departments/ Institutions OR Government Universities having minimum 10 years administrative/educational experience.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव.